



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु.
**OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX,
KARNATAKA & GOA REGION, BENGALURU.**

केंद्रीय राजस्व भवन, नं : 1, क्वींस रोड, बेंगलूरु - 560 001.

Central Revenue Building, No.1, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.

टेली / Telephone : 080-2286 4273 फैक्स / Fax : 080-2286 6659

फ.स. 229(2)/ पेंशन अदालत/2021-22/प्र.मु.आ.आ.
F.No.229(2)/Pension Adalat/2021-22/Pr.CCIT

दिनांक : 03/02/2022
Dated: 03/02/2022

सेवा में /To
सभी कार्यालय अध्यक्ष All the HODs
कर्नाटक और गोवा क्षेत्र/Karnataka & Goa Region

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

विषय/Sub: पेंशन अदालत का आयोजन-सूचना / Holding of Pension Adalat-
intimation of-reg.

सीबीडीटी, नई दिल्ली ने दिनांक 18/01/2022 के एफ. नंबर 38015/04/2022-Ad.IX में पत्र के माध्यम से आयकर विभाग के सभी प्रभारों को मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशनभोगियों की शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालतों का आयोजन करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, कर्नाटक और गोवा क्षेत्र के संबंध में पेंशन अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16/03/2022 को दोपहर 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशन अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों को नहीं लिया जाएगा

CBDT, New Delhi vide letter in F. No. 38015/04/2022-Ad.IX dated 18/01/2022 has directed all charges in IT Department to organise Pension Adalats through video conferencing for prompt resolution of pensioners' grievances within the framework of extant policy guidelines. Accordingly, Pension adalat in respect Karnataka & Goa region, would be conducted on **16/03/2022 @ 03:00 PM** through video conference/web meeting. In accordance with the guidelines of M/o Personnel, PG and Pension, the following type of cases would **not be** taken up in the pension adalat:

- क) विशुद्ध रूप से कानूनी बिंदुओं जैसे उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामले
(ख) नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतें।
a) Cases involving purely legal points e.g. succession etc.
b) Grievances involving policy matters.

पेंशनभोगियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे 20/02/2022 को या उससे पहले अपनी संबंधित शिकायतें, यदि कोई हों, डीसीआईटी (मुख्यालय) (एडीएम) / आईटीओ (मुख्यालय) (एफ एंड डब्ल्यू), ओ / ओ पीआर सीसीआईटी, सीआर बिल्डिंग, बेंगलुरु (ई-मेल के माध्यम से भी: bangalore.ito.hq.fin@incometax.gov.in के माध्यम से) को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। शिकायत प्रस्तुत करने का प्रारूप निम्नानुसार है

The pensioners may be/are requested to submit their respective grievances, if any, **on or before 20/02/2022** positively to DCIT(Hq)(Adm)/ ITO(Hq)(F&W), O/o Pr.CCIT, C.R.Building, Bengaluru (also through e.mail: **bangalore.ito.hq.fin@incometax.gov.in**). The format for submitting grievance is as under-



i) पेंशनभोगी का नाम, (ii) पीपीओ संख्या, (iii) पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, iv) पूर्ण डाक पता v) पारिवारिक पेंशनभोगी के मामले में पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि vi) मोबाइल नं। और वैकल्पिक लैंडलाइन/मोबाइल नंबर vii) ई-मेल आईडी viii) संक्षेप में शिकायतें ix) पहले से ही संबंधित डीडीओ या जेडएओ के साथ। किया गया पत्राचार का विवरण, यदि कोई हो, जहां से सेवानिवृत्त हुए हों।

i) Name of the pensioner, (ii) PPO NO, (iii) Pensioner or family pensioner, iv) Complete postal address v) In case of family pensioner date of death of the pensioner vi) Mobile No. and alternative landline/mobile no vii) e-mail ID viii) Grievances in brief ix) Details of correspondence, if any, already made with respective DDO from where retired or with the ZAO.

पीडित पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक का उपयोग करना अपेक्षित है जो इस कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए प्रदान किया जाएगा और साथ ही संबंधित अधिकारियों/विभागों के अधिकारियों, जेड ए ओ एवं बैंक के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए सम्बंधित दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ। ही शिकायतों के मौके पर ही निपटारे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक का उपयोग करना अपेक्षित है

The aggrieved pensioner/family pensioner(s) are required to use the video conferencing link which will be provided by this office to join the pension adalat on the scheduled date and time along with the relevant documents/records for personal interaction with the concerned officers/officials of the Dept , ZAO as well as banks for on the spot redressal of the grievances.

पेंशन अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ वेब मीटिंग के लिंक को बाद की तारीख में संबंधित पेंशनभोगियों को सूचित किया जाएगा

The link of the video conferencing/ web meeting of the Pension adalat would be intimated to all the stake holders on a later date.

dc

भवदीय/Yours faithfully

आकाश भैरामवार (Akash Bhairamavar)

उप आयकर आयुक्त Dy. Commissioner of Income Tax (Hq)(Admn)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय O/o Pr.Chief Commissioner of Income Tax,
कर्नाटक और गोवा क्षेत्र, बेंगलोर Karnataka & Goa region, Bangalore.

प्रतिलिपि/Copy to :

(i) वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन), जेडएओ, सीबीडीटी, बेंगलुरु, हुबली और पणजी।

The Senior Accounts Officer (Pension), ZAO, CBDT, Bengaluru, Hubli & Panaji.

(ii) कर्नाटक आयकर विभाग पेंशनर्स एसोसिएशन, बेंगलुरु, पेंशनभोगियों के संघ के सदस्यों के बीच परिचालित करने के अनुरोध के साथ।

The Karnataka Income tax department Pensioners association, Bengaluru, with a request to circulate among the members of the pensioners association.

(iii) विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वेब-प्रबंधक

The Web-manager for uploading on department website.

